


राज्य नीति एवं योजना आयोग
मध्यप्रदेश
प्रथम तल, 'सी' विंग विंध्याचल भवन, भोपाल
दूरभाष कार्यालय -0755-2551564
ईमेल-spb@mp.nic.in
सीमित निविदा विज्ञप्ति

कमांक 1773 /रा.नी.यो.आ./भण्डार/2022-23

भोपाल, दिनांक 20/12/2022

कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, म.प्र. विंध्याचल भवन, भोपाल में समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यालय फोटोकॉपी के कार्य हेतु दरें सीलबंद निविदाओं/कोटेशन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। संलग्न निविदा शर्त के तहत दरें निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियाँ दिनांक 28/12/2022 तक दोपहर 03:00 बजे तक अधो लिखित कार्यालय में प्रस्तुत करें। दिनांक 28/12/2022 को सायं 4.00 बजे विभागीय समिति द्वारा निविदाकारों अथवा उनके मान्य प्रतिनिधियों के समक्ष निविदायें/कोटेशन खोले जावेंगे।


प्रशासकीय अधिकारी
म.प्र.राज्य नीति एवं योजना आयोग

दरें बन्द लिफाफें में प्रस्तुत की जावे

फोटोकॉपी के कार्य का प्रकार एवं दरों की जानकारी

क्र.	कार्य का प्रकार	दर (GST अतिरिक्त)
1.	ए4 साइज फोटोकॉपी (प्रति पृष्ठ) 75GSM	
2.	ए3 साइज फोटोकॉपी (प्रति पृष्ठ) 75GSM	
3.	ए4 साइज कलर फोटोकॉपी (प्रति पृष्ठ) 75GSM	
4.	ए4 साइज कलर फोटोकॉपी (प्रति पृष्ठ) 100GSM	
5.	स्पायरल बुक (प्रति बुक)	
6.	बुक बाइंडिंग 200 पृष्ठ तक	
7.	बुक बाइंडिंग 200 पृष्ठ से अधिक	
8.	ग्लोसी पेपर	

हस्ताक्षर :

फर्म का नाम :

प्रतिनिधि का नाम :

दिनांक :

RNG
19/11/22

फोटोकापी कार्य हेतु निविदा की सामान्य शर्तें।

1. निविदा में निविदाकर्ता को फर्म का पंजीयन, जीएसटी नंबर, आदि के स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
2. निविदाकार को प्रतिभूति राशि के रूप में राशि रु. 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट जो सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य नीति एवं योजना आयोग के नाम से देय हो, संलग्न करना होगा।
3. निविदा शर्तों का पालन नहीं करने एवं समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में निविदाकार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा द्वितीय निविदाकार को कार्य करने का आदेश दिया जावेगा।
4. सामान्यतः दरें एक वर्ष के लिए मान्य होगी जिसकी समयावधि दोनों पक्षों की सहमति से एक वर्ष की लिए बढ़ाई जा सकती है।
5. मासिक चार्ज के रूप में कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा अर्थात् कार्यालय द्वारा आयोजित होने वाली बैठकों से संबंधित कार्य एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर किये गये फोटोकापी कार्यों के देयकों का ही भुगतान किया जावेगा।
6. किन्हीं कारणों से बजट आवंटन के अभाव में भुगतान हेतु कोई राशि शेष रहती है तो उसका भुगतान आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किया जा सकेगा। इस प्रकार अपिरहार्य कारणों से भुगतान में होने वाले विलंब के लिए कोई ब्याज अथवा दण्डात्मक भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. फोटोकापी संबंधी कार्य हेतु सफल निविदाकर्ता को प्रदाय कार्यादेश को निरस्त करने का अधिकार सदस्य सचिव, राज्य नीति एवं योजना आयोग के पास सुरक्षित रहेंगे।

Prs
19/12